

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 460]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 सितम्बर 2014—आश्विन 7, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 12-32-2013-पच्चीस-4.—राज्य शासन, एतद्वारा, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 (2) एवं 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के सर्वेक्षण के अनुश्रवण हेतु 'राज्य सर्वेक्षण समिति' का गठन निम्नानुसार संरचना के साथ करता है:—

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव | अध्यक्ष |
| 2. | प्रमुख सचिव, नगरीय कल्याण एवं विकास विभाग | सदस्य |
| 3. | संचालक, आर्थिक, योजना एवं सांख्यिकी | सदस्य |
| 4. | संचालक, राज्य जनगणना निदेशालय, मध्यप्रदेश | सदस्य |
| 5. | रेल प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6. | हाथ से मैला उठाने के कर्मियों के प्रतिबंध और पुनर्वास के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन के दो सदस्य (नामनिर्दिष्ट). | सदस्य |
| 7. | समुदाय के दो प्रतिनिधि (एक महिला) नामनिर्दिष्ट | सदस्य |
| 8. | आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास | सदस्य सचिव |

2. इस समिति के निम्न कार्य होंगे:—

1. राज्य स्तर पर सर्वेक्षण को मानिटर एवं सर्वेक्षण करना.
2. अभिहित स्थानों पर जागरूकता अभियान के लिये सामग्री वितरित करना.

3. सर्वेक्षण के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों इत्यादि के माध्यम से प्रचार की व्यवस्था करना.
4. अपने अधिकारिता के अधीन अभिहित स्थानों पर अनुदित सर्वेक्षण सामग्री का वितरण करना.
5. राज्य से सभी शहर, नगर और ग्रामों के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची को अनुमोदित करना.
6. राज्य में मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम समेकित सूची प्रकाशित करना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिन्द्र राव, अवर सचिव.